

कार्यालय उप वन संरक्षक डूंगरपुर

क्रमांक एफ()सर्वे/उवस / 2017-18/ 8020

दिनांक :- 16/11/17

निमित्त,

अधिशाली अभियन्ता
जल संसाधन खण्ड-1
डूंगरपुर

विषय:- बोर का भाटडा सिंचाई परियोजना के प्रभावित काश्तकारों के प्रत्यापन के लिए डूंगरपुर जिल में डूंगरपुर वनमण्डल रानीझुला की 6.5 हैक्टेयर भूमि के अनारक्षण हेतु ऑनलाईन प्रत्युत्तर प्रस्तुत करने बाबत।

प्रसंग :- आपका पत्रांक 3957 दिनांक 09.11.2017

उपरोक्त विषयान्तर्गत आप द्वारा प्रासंगिक पत्र से अवगत कराया गया है की बोर का भाटडा लघु सिंचाई परियोजना के प्रभावित काश्तकारों के प्रत्यपन के लिए डूंगरपुर जिला में डूंगरपुर वन मण्डल के वनखण्ड रानीझुला की अनारक्षण हेतु प्रस्तावित 6.5 है. भूमि, जिसे वनखण्ड नक्शे में वन विभाग की सीमा के अन्दर की तरफ दर्शाई गई थी। जिस पर प्रधान मुख्य वन संरक्षक राजस्थान जयपुर के द्वारा पत्रांक F.14()2017/FCA/PCCF/EDS dated 01-11-2017 के उक्त भूमि वन विभाग की सीमा के अन्दर की तरफ होने से वहा तक आने जाने हेतु रास्ते का प्रावधान नहीं दिये जाने के सन्दर्भ में आक्षेप किया गया है जबकी मौके पर उक्त प्रस्तावित भूमि वन विभाग की सीमा रेखा से सटी हुई थी।

अतः उक्त प्रस्तावित 6.5 है. भूमि एवं वनखण्ड की डीमार्केशन लाइन के बीच वाली भूमि को पूर्व में घोड़िया का नाका के बांध में डूब में आने वाले काश्तकारों को आवंटित किया जा चुका है, जिसका अपडेटेड नक्शा वनखण्ड के नक्शे में मार्क कर संलग्न प्रेषित है।

संलग्न - नक्शा 1 शीट

भवदीय

(डॉ.एस.सरथ बाबू)
उप वन संरक्षक
डूंगरपुर

क्रमांक एफ() उवस/सर्वे/2017-18/

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रस्तुत है।

1. मुख्य वन संरक्षक उदयपुर।
2. जिला कलेक्टर डूंगरपुर।

दिनांक :-

उप वन संरक्षक
डूंगरपुर